झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
त्रयोदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 19.07.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प 753 (6). दिनांक- 25.10.2014 के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रकिया के तहत् यह प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी सेवकों को देय चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर वार्षिक प्रिमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा कार्यरत सरकारी सेवक एवं उन पर आश्रित परिजनों के साथ-साथ सेवानिवृत सेवकों को भी प्रिमियम भुगतान के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा खुली निविदा के माध्यम से बीमा कम्पनी का पैनल तैयार किया जाना है जिसके तहत् कर्मी को वीमित किया जा सकता है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक निविदा के माध्यम से योग्य वीमा कम्पनियों का चयन नहीं किया जा सका है।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		जिसके कारण एक ओर सरकार द्वारा प्रत्येक कर्मियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता देना पड़ रहा है और साथ ही प्रतिपूर्ति हेतु भी सरकार को करोड़ों रूपये व्यय करने पड़ रहे हैं। जबकि सेवकों के चिकित्सा बीमा के उपरान्त न तो सरकार को चिकित्सा भत्ता व्यय करना पड़ेगा और न ही सामान्य स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में व्यय करना होगा। अतः मैं राज्य सरकार के सेवकों के हित में तथा सरकार पर पड़ने वाले व्यय को कम करने वाली इस योजना के अनुरूप शीघ्र ही बीमा कम्पनियों का चयन कर कर्मियों को वीमित करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
02-	श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0 एवं श्री ग्लेन जोसेफ ग्लास्टीन स0वि0स0	कि प्रखण्ड स्तरीय महिला कॉलेज नहीं होने के कारण अधिकतर ग्रामीण सुदूर क्षेत्र की छात्राओं की मैट्रीक उत्तीर्ण के बाद उच्च स्नातक तक की पढ़ाई के लिए ग्रामों से दूर शहरी क्षेत्र में आना पड़ता है। जिससे बहुत सी छात्राऐं पढ़ाई से वंचित रह जाती है। जिससे बेरोजगार,एवं आर्थिक रूप से समाजिक विकास नहीं हो पाती है। अतः ध्यानाकर्षण प्रश्न के माध्यम से सदन के द्वारा सरकार से माँग करते हैं कि बेड़ो प्रखण्ड स्तरीय महिला कॉलेज खोली जाय।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
03	श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0	साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा के तटवर्ती व दियारा क्षेत्र राजकीय राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ एवं अर्न्तराष्ट्रीय सीमा के नजदीक है। राज्य का विशेषकर साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला-अन्तर्गत क्षेत्र सामरिक दृष्ट्रीकोण से महत्तवपूर्ण है। आय दिन बांग्लादेशी घुसपैठी द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। घुसपैठियों के कारण क्षेत्र की डेमोग्राफी में पिछेले कुछ वर्षो में असामान्य परिवर्त्तन आया है, जिससे क्षेत्र की विधि-व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। असम राज्य के तर्ज पर इनका National Register of Citizenship (NRC) यहाँ अभी तक बनना शुरू नहीं हो पाया है। साथ ही घुसपैठीयों के द्वारा भूमि अतिकमण किया जा रहा है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		प0 बंगाल से सटे जिला के प्रखण्ड राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड की स्थिति और भी दयनीय व चिंतनीय है। दैनिक समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से यह भी पता चलता है कि घुसपैठिये द्वारा जाली नोटों की तस्करी तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ में संलिप्ता दर्शायी गयी और संचालित है। अतः सदन की माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ की उक्त वर्णित जिला को राज्य और राष्ट्रीय दृष्ट्रिकोण से सुरक्षित रखने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय जिस ओर मैं ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	सर्वश्री भानु प्रताप शाही, प्रकाश राम एवं श्री डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0	कनहर (बराज) डैम झारखण्ड राज्य के महत्वकांक्षी परियोजना 1975 से लंबित है 42 वर्ष से राज्य सरकार डी0पी0आर0 1975,1977,1980 प्रत्येक 5 वर्ष से जल आयोग को राज्य सरकार द्वारा भेजती रही है। परन्तु छत्तीसगढ़ के विरोध के बाद केन्द्रीय जल आयोग मुकदर्शक बनी रही। प्रत्येक वर्ष गढ़वा जिला में सुखा पड़ने के कारण किसानो को भारी नुकसान होते रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के आपत्ति को देखते हुए वर्ष-2009 में किसानो के सलाह से जन याचिका उच्च न्यायालय, राँची कनहर डेम के जगह कनहर वराज के नाम से दाखिल की गयी। जिसमें भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को पार्टी बनायी गयी है। हाई पॉवर कमिटी के सुझाव सरकार को पार्टी बनायी गयी है। हाई पॉवर कमिटी के सुझाव पर टेण्डर आमंत्रित किया गया, दिल्ली के पार्टी को टेण्डर मिला और डी0पी0आर0 बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को दे दिया गया है। डी0पी0आर0 को जाँच करने के उपरान्त 2 माह के अन्दर केन्द्रीय जल आयोग झारखण्ड सरकार को भेज देगी।	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		अतः इस परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित कर गढ़वा जिला के किसानो को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	
05	श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0	कृपया विदित हो वर्तमान में सरकार द्वारा +2 विद्यालय में उत्क्रमित किये जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। साहेबगंज जिलान्तर्गत मिल्लत उच्च विद्यालय, श्रीकुण्ड, बरहरवा से +2 विद्यालय कोटालपोखर की दूरी 9 किलोमीटर से अधिक और श्रीकुण्ड से कोटालपोखर जानेवाली मुख्य सड़क में श्रीकुण्ड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक फाटक रहित रेल लाईन है। ज्ञात हो कि मिल्लत उच्च विद्यालय, श्रीकुण्ड से प्रत्येक वर्ष 300-350 छात्र माध्यमिक की वार्षिक परीक्षा में शामिल होते है, जिसमें 70 प्रतिशत बालिकाएँ होती है। वर्णित विद्यालय को अबतक +2 विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किये जाने से अधिकत्तर बालिकाएँ आगे की पढ़ाई से वंचित हो रही है। अतः साहेबगंज जिलान्तर्गत मिल्लत उच्च विद्यालय, श्रीकुण्ड, बरहरवा को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु मैं, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

राँची,
दिनांक- 19 जुलाई, 2018 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-3322/वि0 स0, राँची, दिनांक- 18.7.18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0संदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव, लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा /गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन / जल संसाधन, एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-3322/वि0 स0, राँची, दिनांक- 18.7.18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

18/7/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

मुण्डा/-

18.07.18